संचिका संख्या–12/प.–विविध–08–40/2014– 399(12) 26-5-15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय आदेश

विषयः–ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रशिक्षित एवं कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में "जन स्वास्थ्य" व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एक वर्षीय) के तहत प्रशिक्षित करने के संबंध में।

बिहार की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की कमी के कारण आम जनता को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की अनुपलब्धता के कारण लाखों अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, पुश्तैनी हकीम, वैद्य, चिकित्सकों के साथ जुड़कर अनुभव प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता आदि प्राथमिक उपचार एवं परामर्श इत्यादि में सक्रिय हैं एवं कई प्रकार के इलाज कर रहे हैं।

2. चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाताओं की इस कमी को पाटने एवं चिकित्सा तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रचलित स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यबल के कौशल उन्नयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से **राज्य स्वास्थ्य समिति**, बिहार के द्वारा जन–समुदाय के बीच से वैसे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के Voluntary कार्यकर्त्ताओं को, जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, NIOS, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा जो स्वास्थ्य, स्वस्थ पर्यावरण, संतुलित आहार, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देख–रेख सहित परिवार कल्याण आदि पर परामर्श दे सकें तथा प्राथमिक उपचार करने में समर्थ हों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

26/5/15

3. उक्त पृष्ठभूमि में राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for All) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनता को प्रभावी, सक्षम एवं सुलभ स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सहयोग हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य में **''जन स्वास्थ्य''** प्रमाण–पत्र पाठयक्रम (एक वर्ष) हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 FRU (First Referal Unit) तथा 533 (P.H.C) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

4. यह कार्यक्रम जन–सामान्य के लिए अति उपयोगी होने के साथ–साथ व्यापक प्रभाव डालने वाला होगा। इस **शै**क्षिक कार्यक्रम को एक नियमित स्वरूप प्रदान करने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल उन्नयन हो सकेगा एवं वे प्राथमिक चिकित्सा, माता तथा शिशु स्वास्थ्य देख–भाल एवं रोगों में निवारण एवं आपातकालीन स्थितियों के बारे में जन–समुदाय को सही जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।

5. राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 FRU (First Referal Unit) तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रत्यायन (Accreditation)–

एन0आई0ओ0एस0 द्वारा प्रत्यायन होने के उपरान्त प्रत्येक FRU तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ए0वी0आई0 (व्यवसायिक अध्ययन केन्द्र) के नाम से चिन्हित किया जायेगा, प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का अपना एक **समन्वयक** (राज्य परामर्श दात्री समिति द्वारा चयनित/नामित एवं स्थानीय समन्वयक जो कि ग्रामीण चिकित्सा सेवा या उससे सम्बद्ध है/स्वास्थ्य प्रबन्धक/चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित) होगा, जो शैक्षिक गतिविधि, नामांकन एवं परीक्षा के संबंध में आवश्यकतानुसार कार्य एन0आई0ओ0एस0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित करेगा।

6. नामांकन (01 जुलाई, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक)

इस कार्य के लिए एन0आई0ओ0एस0 द्वारा निर्धारित प्रति केन्द्र पचास (50) शिक्षार्थियों के नामांकन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

26/5/15

निर्धारित अर्हता के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर नामांकन हेतु आवेदन करेंगे। (नामांकन पूरे वर्ष होते हैं एवं नामांकित शिक्षार्थियों का नामांकन पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा)

7. **नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया**

ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति एवं उसके द्वारा नामित स्थानीय समन्वयक एवं स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित आवेदनों को नामांकन हेतु एन0आई0ओ0एस0 के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। अनुशंसित जिलेवार शिक्षार्थियों के चयन (निर्धारित प्रवेश योग्यता के अनुसार) के उपरान्त शिक्षार्थियों को परिचय पत्र, क्रमांक एवं अध्ययन केन्द्र की जानकारी उपलब्ध करायी जायगी। राज्य परामर्शदातृ समिति, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एवं NIOS के पदाधिकारी संयुक्त रूप से बैठक कर निर्धारित मानदंडों के आलोक में नामांकन प्रक्रिया संपादित करेंगे।

8. **प्रवेश योग्यता**

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को 03 से 05 वर्षों का अनुभव (05 वर्षों एवं उससे अधिक अनुभव वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी)
नामांकन की राशि रू 5000/ (रूपये 4000/ए वी आई (अध्ययन केन्द्र) के नाम (स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार) होगा एवं रूपये 1000/सचिव, एन0आई0ओ0एस0 के नाम, जो पटना में देय हो, जमा होगा) **अतः अलग–अलग दो डिमाण्ड ड्राफ्ट शिक्षार्थियों द्वारा जमा किया जाएगा।**

9. **नामांकन शुल्क**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा नामांकन के उपरांत नामांकित छात्रों एवं छात्राओं को शैक्षिक सामग्री यथा–मुद्रित पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो/वीडियो कार्यक्रम, परिचय–पत्र, परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र, परीक्षा की समय सारणी, परीक्षा केन्द्र का विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे।